

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 602 of 2022
IN THE MATTER OF

Utkarsh Singh Chauhan

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

....Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS & HEAD OF THE DEPARTMENT, UTTAR PRADESH, LUCKNOW IN COMPLIANCE OF THE ORDER BY THIS HON'BLE TRIBUNAL DATED 07.05.2024.

I, Sudhir Kumar Sharma aged about 59 years, S/o Shri Shiv Ratan Sharma presently posted at Principal Chief Conservator of Forest and Head of the Department, UP Lucknow I am hereby most solemnly state and affirm as under;

1. I am Principal Chief Conservator of Forest and Head of the Department, UP Lucknow and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in compliance of order dated 07.05.2024 of this Hon'ble Tribunal.
2. At the outset, with the utmost respect it is submitted that all the officers and authorities of the State of Uttar Pradesh have the highest respect and regard to the orders passed by the Hon'ble Tribunal and duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal in true letter and spirit.
3. That in this Original Application, the applicant by email copy of letter petition addressed to Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh regarding conservation and development of lake named 'Chande Baba Talab' situated in village Garhi-Chunoti, Lucknow. The applicant contends that 'Chande Baba Talab,' encompassing 100 acres, is the largest lake in Lucknow City and holds religious significance. During winter, it attracts thousands of migratory birds, though their numbers are declining due to encroachments and reduced water levels. The lake's water source, the Nagwa Nala storm water drain, currently flows into the River Sai, resulting in wasted fresh water. The applicant asserts the necessity of redirecting this drain to Chande Baba Lake to improve its water level. Urgent actions are required, including desilting the lake, increasing its retention capacity, providing for overflow, removing encroachments, constructing a boundary wall or fence, afforesting its perimeter, and enhancing the area to attract tourists and migratory birds.

[Handwritten Signature]
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2025

[Handwritten Signature]

4. That the Original Application was listed on 07.05.2024 for hearing before the Hon'ble Tribunal. After hearing the matter and perusal of the report filed by the UPPCB and District Magistrate, Lucknow passed the order which is as follows:

"7. We have gone through the reports and we find that requisite remedial measures essentially required to be taken for restoration of Chande Baba Talab have not been taken by the concerned authorities so far. The question as to whether Chande Baba Talab is liable to be declared wetland in view of the area involved has also not been considered/decided.

8. No doubt the matter of removal of encroachments is also involved but the area under encroachment is merely 3.1859 hectare and the remaining area is available for restoration which needs to be focused upon and given priority and the matter of restoration/rejuvenation of remaining area of the pond cannot be allowed to be delayed by tagging the same with the question of removal of encroachments.


9. Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh, the Chairman, State Wetland Authority, and the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttar Pradesh are directed to personally look into the matter and issue appropriate instructions fortaking of remedial measures and file their own affidavits within two months regarding remedial measures taken/to be taken for restoration of the pond and better utilization of the area available.

10. The District Magistrate, Lucknow is also directed to file his report by way of his own affidavit within two months mentioning in detail action taken/to be taken and also the deliberations made in the meetings of the District Wetland Committee regarding 'Chande Baba Talab' alongwith copies of the minutes recording the deliberations/decisions regarding the same.

12. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the District Magistrate, CDO and DFO, Lucknow before this Tribunal on the next date of hearing physically or through VC to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are directed to remain present before this Tribunal on that date."

5. That it is submitted with the utmost respect and regard that in compliance of the last order dated 07.05.2024 by this Hon'ble Tribunal, where the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttar Pradesh was directed to personally look into the matter and issue appropriate instructions for taking of remedial measures and file their own affidavits within two months regarding remedial measures taken/to be taken for restoration of the pond and better utilization of the area available.

6. That it is submitted that District Magistrate, Lucknow vide order no. 3269/ST-ADM(Prash.)/2023 dated 27.10.2023 passed order for different departments



7/8/24
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2025

[Handwritten signature]

in compliance of Hon'ble NGT order dated 11.09.2023 in which at serial no. 6 green belt was to be developed by the Forest Department.

True Copy of the Letter/order dated 27.10.2023 has been annexed herein as **ANNEXURE R1.**

- 7. That in compliance of Hon'ble NGT order dated 11.09.2023 and District Magistrate, Lucknow order dated 27.10.2023, the Chief Conservator of Forest, Lucknow vide letter no. 611/22-1, dated 07.08.2024 has informed that 1000 plants have been planted and protected via tree guards by Awadh Forest Division, Lucknow for development of green belt in the catchment of 'Chande Baba Talab'.

True Copy of the Letter/order dated 07.08.2024 has been annexed herein as **ANNEXURE R2.**


- 8. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed there from.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this 7th day of Oct, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
DEPONENT



Sworn and Verified :
Before Me

[Signature]
7/8/2024
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2025

Identify the deponent/Executant/Suraty who has/hasve signed/put/it before me
[Signature]
7/8/24

संख्या: 3249 / एसटी-एडीएम(प्रशा0)/2023 कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

दिनांक अक्टूबर, 27, 2023

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश के समादर में ग्राम गढ़ी चुनौटी तहसील व विकासखण्ड सरोजनीनगर जनपद लखनऊ स्थित चॉदे बाबा तालाब की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 11.09.2023 को विभागीय स्तर से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में एक्शन टेकेन रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गये हैं। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के समादर में विभागीय स्तर से कराये जाने वाले कार्यों का विभागवार विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	विभागीय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण।	विभाग
1-	Removal of encroachment around the pond	District Administration
2-	Removal of hyacinth	Rural Development Department
3-	Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet	Minor Irrigation Department
4-	Removal of polluted Water from the pond	Rural Development Department
5-	Rejuvenation/beautification of the pond	Rural Development Department
6-	Development of green belt	Forest Department
7-	Water monitoring of the pond	UPPCB

अतएव माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश 11.09.2023 के समादर में कार्ययोजना विकसित करते हुए विभागीय स्तर से अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ/नामित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विषयगत प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के समादर में सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल विभागीय स्तर से कार्ययोजना तैयार कराकर समयान्तर्गत अनुपालन आख्या श्री भंवर सिंह जडान, स्थायी अधिवक्ता, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

SDOCM)

PA-II

Ram

DFO

30/10/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्री भंवर पाल सिंह जडान, स्थायी अधिवक्ता, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ।
4. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. अधिशापी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, शारदा नहर खण्ड-2, लखनऊ।
7. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
8. विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी, लखनऊ।


जिलाधिकारी,
लखनऊ।



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश लखनऊ
पत्रांक- 611 /22-1 लखनऊ, दिनांक: 07 अगस्त, 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
उ०प्र०, लखनऊ।।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उ०प्र० में पारित आदेश के अनुक्रम में।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ की पत्र सं०-81/टी०सी०/35-1 दिनांक 06.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ ने अपने संदर्भित द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उ०प्र० में पारित आदेश के अनुक्रम में आपकी आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ की उपलब्ध कराई गई आख्या मय संलग्नकों सहित आपकी सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक- / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।



(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक- 81 / T.C/35-1 लखनऊ, दिनांक, अगस्त 06, 2024.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में "चौदे बाबा तालाब" के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही व इस अनुरोध से प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से उच्च स्तर को आख्या प्रेषित करने का कृपा करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,



(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कोर्ट केस
ओ0ए0 संख्या-602/2022
38/24
30 अक्टूबर
7.8.24


पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके आदेश पत्रांक संख्या-3296/एसटी-एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को उनके पत्रांक-889/35-1 दिनांक 01.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

“चौदे बाबा तालाब” के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति

अवध वन प्रभाग, लखनऊ के सरोजनीनगर रेंज अंतर्गत “चौदे बाबा का तालाब” गढ़ी चुनौटी लखनऊ में तालाब को वेटलैण्ड व पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास कराने हेतु डी0एफ0ओ0, लखनऊ द्वारा निरीक्षण करते हुए एक खुली सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग, नगर निगम, खण्ड विकास के अधिकारीगण व श्री उत्कर्ष सिंह चौहान सहित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया। सभा में उपस्थित उक्त विभाग के समस्त अधिकारीगण से विचार-विमर्श कर संबंधित विभागों से तालाब के विकास हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण सत्र में 1000 आयरन ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण करने हेतु निर्देशित किया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज ने अपने पत्रांक-227/29 दिनांक 12.10.2023 (संलग्नक-1) द्वारा अवगत कराया गया कि “चौदे बाबा का तालाब” में संबंधित विभागों एवं स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष लिये गये निर्णय के अनुसार माह जुलाई, 2023 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या-3269/एसटी-एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 (संलग्नक-2) के क्रम में वन विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर ने अपने पत्रांक-266/35-1 दिनांक 31.10.2023 (संलग्नक-3) द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 1000 ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण निम्न प्रकार पूर्ण कर लिया

गया है-

क्र0सं0	आयरन ट्री-गार्ड में रोपित प्रजाति	रोपित किये गये पौधों की संख्या
1	अर्जुन	504
2	जामुन	195
3	सेमल	185
4	कचनार	86
5	पीपल	10
6	बरगद	10
7	पाकड़	10
	योग:-	1000 पौधे



उक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज को इस कार्यालय के पत्रांक-54/टी0सी0/29-1 दिनांक 29.07.2024 द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज के माध्यम से "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की कलर्ड फोटोग्राफ सहित अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट के आधार पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज ने अपने पत्रांक-889/35-1 दिनांक 01.08.2024 (संलग्नक-4) द्वारा अवगत कराया गया है कि "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति (सफलता प्रतिशत) सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार आयरन ट्री-गार्ड में उपर्युक्त तालिका के अनुसार रोपित पौधों की सफलता 100 प्रतिशत है। इस प्रकार खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग द्वारा अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनीनगर रेंज लखनऊ


उप प्रभागीय वनाधिकारी
मोहनलालगंज
अवध वन प्रभाग, लखनऊ


(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।





संकेत संख्या (०१)

2

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज, लखनऊ।
(अवध वन प्रभाग, लखनऊ)

पत्रांक- 227 / 29

(लखनऊ)

दिनांक- 12/10/2023.

सेवा में

प्रभागीय कानिफारी

अवध वन प्रभाग

लखनऊ

विषय- आरक्षणीय क्षेत्र अन्तर्गत नदी किनारे में विचारार्थी को 01/10/2022
को चंडे बाबा तालाब के क्षेत्र में पानी को प्रवाह के अड्डे के निर्माण
विषय में

आपका पत्र सं- 691/वि/सी/297/35-3 (एन/सी/ए) दिनांक 05.10.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको 01/10/2022 को आदेश से आदेश

प्राप्त, उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि रिव माफिया

सं- 113/2023 उत्तर दि. 01/10/2023 को चंडे बाबा तालाब के क्षेत्र में 13/11/2023

को चंडे बाबा तालाब के क्षेत्र में धारियों एवं सम्बन्धित करने के लिए आदेश जारी

रूप में जारी किया गया था चंडे बाबा तालाब व आरक्षणीय क्षेत्र में 1000


वर्ग मीटर के पानीवाणीय अनुसूचित प्रजातियों का रोपण करने हेतु आदेश जारी

किया गया था, जिसके तहत आप को दिनांक 01/10/2023 को आदेश

जारी किया गया था, जिसके तहत आप को दिनांक 01/10/2023 को

आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत आप को दिनांक 01/10/2023 को

आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत आप को दिनांक 01/10/2023 को



अवध वन प्रभाग
12/10/2023
(क्षेत्रीय वन अधिकारी)
सरोजनीनगर रेंज
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

(क्षेत्रीय वन अधिकारी)

संख्या: 3289 / एसटी-एडीएम(प्रशा0)/2023 कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

दिनांक अक्टूबर, 27, 2023

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश के समादर में ग्राम गढ़ी चुनौटी तहसील व विकासखण्ड सरोजनीनगर जनपद लखनऊ स्थित चॉदे बाबा तालाब की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 11.09.2023 को विभागीय स्तर से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में एक्शन टेकेन रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गये हैं। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के समादर में विभागीय स्तर से कराये जाने वाले कार्यों का विभागावार विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	विभागीय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण।	विभाग
1-	Removal of encroachment around the pond	District Administration
2-	Removal of hyacinth	Rural Development Department
3-	Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet	Minor Irrigation Department
4-	Removal of polluted Water from the pond	Rural Development Department
5-	Rejuvenation/beautification of the pond	Rural Development Department
6-	Development of green belt	Forest Department
7-	Water monitoring of the pond	UPPCB

अतएव माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश 11.09.2023 के समादर में कार्ययोजना विकसित करते हुए विभागीय स्तर से अनुपालन आख्या समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ/नामित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विषयगत प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के समादर में सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल विभागीय स्तर से कार्ययोजना तैयार कराकर समयान्तर्गत अनुपालन आख्या श्री भंवर सिंह जडान, स्थायी अधिवक्ता, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

EDOCM)

PA-II

राय

DFD

30/10/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्री भंवर पाल सिंह जडान, स्थायी अधिवक्ता, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
2. प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लखनऊ।
4. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, शारदा नहर खण्ड-2, लखनऊ।
7. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
8. खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ।

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

Surya
जिलाधिकारी,
लखनऊ।



कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज, लखनऊ।
(अवध वन प्रभाग, लखनऊ)

पत्रांक- 266 / 23 35-1 (लखनऊ) दिनांक- 31/10/2023.
सेवा में, (कोड/सं.)

प्रमुखीय वन अधिकारी
अवध वन प्रभाग
(लखनऊ)

विषय:-

माधवाजीग हीर अधिकारी, नई दिल्ली में विधायकीन ओर एच संख्या
-602/2022-अवध सिट कोरम वन संख्या स्टेट ओर एच संख्या में धीर ओर एच
संदर्भ:- अलखन में चांडीबाक तागास पीटाप में वन अधिकारी बागा 1000 बी.एच.एच.
अवधका पत्रांक - 21/10/23 न चांडीबाक डिप 31/10/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संकीर्ण पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित वन संख्या हैं सि माधवाजीग
हीर अधिकारी, नई दिल्ली में विधायकीन ओर एच संख्या-602/2022 अलखन सिट
कोरम वन संख्या स्टेट ओर एच संख्या में धीर ओर एच संख्या तागास पीटाप
में सुप्रीम कोर्ट में विनि गी विनि गी अलखन विधाय बाग विनि गी 1000 बी.एच.एच.
ही-गठ में परीक्षण अलखन अलखन का रोपण का विवर निम्न प्रकार है -

क्रम संख्या	आमल की गठ में रोपित प्रजाति	पौधों की संख्या	अधिसूक्ति
1-	अर्जुन	504 पौध	
2-	जाखन	195 "	
3-	सैमल	185 "	उपरोक्त वन संख्या में धीर कर दिया
4-	कचनार	86 "	वामा है।
5-	पीपल	10 "	
6-	सरगद	10	
7-	पासड़	10	
	मोग -	1000 पौध	

संलग्नक 1 - उपरोक्त तागास 1



अवधीस
31/10/23
(श्रीकत उल्ला खा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर रेंज
लखनऊ

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक-४४९ /३५५ लखनऊ, दिनांक ०१ अगस्त, २०२४।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-६०२/२०२२ उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि दिनांक १३.०१.२०२३ को चांदे बाबा तालाब में क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कमेटी के साथ आयोजित खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग द्वारा चांदे बाबा तालाब व आस-पास के क्षेत्र में १००० आयरन ट्री गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण करने हेतु आम सहमति से निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा अपने पत्रांक-२२७/२९ दिनांक १२.१०.२०२३ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि १००० आयरन ट्री गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपणकार्य वर्षाकाल माह जुलाई २०२३ में पूर्ण करा लिया गया है। इस प्रकार दिनांक १३.०१.२०२३ को चांदे बाबा तालाब में क्षेत्रीय ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कमेटी के साथ आयोजित खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

आपकी पत्र संख्या-५४/टी०सी०/२९-१ दिनांक २९.०७.२०२४ के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा अपने पत्रांक-६०/२९-१ दिनांक ३०.०७.२०२४ (छायाप्रति संलग्न) से चांदे बाबा तालाब परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति (सफलता प्रतिशत) सहित प्रस्तुत की है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।


भवदीय

Chander

(चन्दन चौधरी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मोहनलालगंज।






sa



sa



sa